निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 15/अपील/20

जितेन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गुराड़खेड़ा तहसील बकानी (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 18.03.2020 तहसीलदार बकानी
मिसल न0 28/20

उपस्थितः– श्री अजीतसिंह झाला अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 25.08.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 18.03.2020 जो मिसल न0 28/2020 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम गुराड़खेड़ा की आराजी ख0न0 400 रकबा 01 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर 385/– शास्ती आरोपित करते हुए 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सजायाब किया है, अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी राजकीय चरागाह आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल न0 449 निर्णय दिनांक 20.09.2019 से 55/–रू. शास्ती आरोपित की गई थी इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पुनः चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार बकानी द्वारा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट भिजवाई गई है उक्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली होना व कब्जा हटा लेने की रिपोर्ट अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/– रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वय का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनाक 25.08.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़